रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042025-262386
CG-DL-E-09042025-262386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1651] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947
No. 1651] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1682(अ).—केन्द्रीय सरकार, सांख्यिकीय संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला मंत्रालय में, इस मामले पर जारी की गई सभी पिछली अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार –

(i) कोयला उद्योग में लगे किसी व्यक्ति, फर्म, सहकारी समिति, कंपनी या सोसाइटी अथवा प्रवृत किसी विधि के अधीन मान्यता प्राप्त या रजिस्ट्री किसी ऐसे संगम से सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण का निदेश देती है जिसमें कोयला उत्पादन, वितरण, कोयला धुलाई, कोयला प्रसंस्करण, आयात और निर्यात जैसे कार्यकलापों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करना सम्मिलित हैं;

(ii) उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय को, दूसरी अनुसूची में निर्धारित उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के अधीन सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण के प्रयोजन के लिए, पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है; और

(iii) सांख्यिकी अधिकारी को ऐसे सांख्यिकी अधिकारी के लिए अभिहित भौगोलिक इकाई के भीतर ऐसी एजेंसियों या ऐसी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने या संविदा के आधार पर किसी एजेंसी या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संगम को नियोजित करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।

पहली अनुसूची

सांख्यिकी अधिकारी	पता	अधिकारिता
उप महानिदेशक, फोन: +91-011-24699948 ईमेल: ddgoffice.moc@gov.in	उप महानिदेशक, 5वीं मंजिल कोयला मंत्रालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003	कोयला और लिग्नाइट उत्पादक राज्यों सहित संपूर्ण भारत।

दूसरी अनुसूची

1. **सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह के लिए विषय और प्रयोजन –** भारत में कोयला उत्पादन, उपभोग, वितरण, कोयला धुलाई, कोयला प्रसंस्करण और व्यापार (आयात और निर्यात) से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ा, जिसमें कोयला खनन प्रचालन, उत्पादित कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड, कोयला सेक्टर में रोजगार पैटर्न, पर्यावरणीय प्रभाव और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोयले के योगदान पर आंकड़ा शामिल हैं।

2. सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र- सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण सभी कोयला और लिग्नाइट उत्पादक राज्यों सहित पूरे भारत में लागू होगा।

3. आंकड़ा संग्रहण की पध्दति – सांख्यिकीय आंकड़ा दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, या वार्षिक विवरणी के माध्यम से मौखिक साक्षात्कार या इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति सहित प्रारूपों और पध्दतियाँ में एकत्र किया जाएगा, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, जो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक, सोशल या मास मीडिया के माध्यम से सूचना प्रदाताओं को अधिसूचित करेगा

4. आंकड़ा संग्रह के लिए सूचना प्रदाताओं की प्रकृति: – कोयला खानों और कोयला धोवनशालाओं के स्वामियों या प्रचालको, कोयला कंपनियों, व्यापारियों और यथास्थिति कोयला आपूर्ति श्रृंखला और कोयले के उपयोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से जानकारी एकत्र की जा सकेगी ।

5. आंकड़ा संग्रहण पूरा करने की अवधि – सूचना देने वाले को सूचना में यथाविनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने की समय-सीमा सामान्यतः दैनिक विवरणी के लिए एक दिन, मासिक विवरणी के लिए दस दिन, तिमाही या अर्धवार्षिक विवरणी के लिए एक माह और वार्षिक विवरणी के लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि होगी।

6. संदर्भ अवधि – जानकारी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, या वार्षिक आधार (वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष) पर जैसा लागू हो, विवरणी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

7. एकत्र की जाने वाली जानकारी की प्रकृति-एकत्र की गई जानकारी मुख्य रूप से उत्पादित, उपभोग किए गए, धोए, संसाधित और व्यापार किए गए कोयले की मात्रा और मूल्य से संबंधित होगी, जिसमें कोयला ग्रेड, रोजगार, पर्यावरणीय प्रभावों और पैरा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संबंधित विषयों पर आंकड़ा शामिल हैं।

8. वह भाषा जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी हो – सूचना प्रदाता सूचना अंग्रेजी में प्रस्तुत करेगा।

9. सूचना प्रदाता का दायित्व- सूचना प्रदाता सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करेगा, और सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देगा।

10. कारोबार अभिलेख और अन्य अभिलेख की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा – किसी इकाई के कारोबार अभिलेख, जैसे कि उत्पादन रिपोर्ट, बिक्री अभिलेख, वित्तीय विवरण, लागत पत्रक, वेतन पत्रक या इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी के समर्थन में किसी भी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

11. निरीक्षण की रीति: – सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार और अन्य अभिलेख के आधार पर इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित कर सकेगा और संबंधित स्वामी या व्यापारी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

[फा. सं. स्टेट–02/2/2024-स्टेट]

रुपिंदर बरार, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

S.O. 1682(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Central Government in the Ministry of Coal, in supersession of all previous notifications issued on this matter, hereby—

(i) directs the collection of statistical data from an individual, firm, co-operative society, company or society or an association recognized or registered under any law in force, that are engaged in the coal industry including collecting information necessary for assessing the impact of activities such as coal production, distribution, coal-washing, coal processing, import, and export;

(ii) appoints the Deputy Director General, Ministry of Coal, as Statistics Officer, as specified in the First Schedule, for the purpose of collection of statistical data under this notification, in accordance with the provisions set out in the Second Schedule; and

(iii) delegates to the Statistics Officer, the authority to appoint agencies or persons working in such agencies or to employ on contract basis any agency or company or organisation or association of persons, within the geographical unit designated for such Statistics Officer.

FIRST SCHEDULE

Statistics Officer.	Address.	Jurisdiction.
Deputy Director General, Ph: +91-011-24699948 E-mail: ddgoffice.moc@gov.in	O/o Deputy Director General, 5th floor Ministry of Coal, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.	Whole of India, including all coal and lignite producing States.

SECOND SCHEDULE

1. Subject and purpose for collection of statistical data. – The statistical data related to coal production, consumption, distribution, coal-washing, coal processing and trade (imports and exports) in India including data on coal mining operations, quality and grades of coal produced, employment patterns in the coal sector, environmental impacts and contributions of coal to the national economy.

2. Geographical area for collection of statistical data. – The collection of statistical data shall be applicable to the whole of India, including all coal and lignite producing States.

3. Method of data collection. – The statistical data will be collected through daily, monthly, quarterly, half-yearly, or annual returns in formats and methods, including oral interviews or electronic submissions, as specified by the Statistics Officer, who will notify informants individually or through electronic, social, or mass media

4. Nature of informants for data collection. –The information may be collected from the owners or operators of coal mines and coal washeries, coal companies, traders, and any person involved in the coal supply chain and coal use directly or indirectly, as the case may be.

5. Period for completion of data collection. – The time limit for furnishing information, as specified in the notice to the informant, shall generally be one day for daily returns, ten days for monthly returns, one month for quarterly or half-yearly returns, and a period specified by the Statistics Officer for annual returns.

6. Reference period. – The information shall be furnished through returns on a daily, monthly, quarterly, half-yearly, or annual basis (financial year or calendar year), as applicable.

7. Nature of information to be collected. – The information collected shall mainly relate to the volume and value of coal produced, consumed, washed, processed and traded, including data on coal grades, employment, environmental impacts, and related subjects required for the purposes mentioned in paragraph 1.

8. Language in which information is to be furnished by informants. – The informant shall furnish the information in English.

9. Obligation of informant. – The informant shall furnish information in the manner and within the time specified by the Statistics Officer, present relevant records for inspection, and respond to any questions relating to the requested information, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

10. Nature of business records and other records which may be inspected. – The business records of a unit, such as production reports, sales records, financial statements, cost sheets, payrolls or any other documents supporting the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

11. Manner of inspection. – The Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished by the unit based on business and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or trader or a person authorised by the management of the unit.

[F. No. Stat-02/2/2024-STAT]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA